सरोज कंवर बनाम मालीराम वगैरा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज<br>मु० नं० - 61/2004 |
|---|---|
| 03-05-18 | पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान - 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प - भाड़खी के अटल सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण न्यायालय में दिनांक 16-6-04 से विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में दिनांक 19-6-04 व 4-8-04 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी नं० 2 की ओर से श्री मनवीर सिंह एड० ने पूर्व में वकालतनामा पेश किया था एवं जवाब दी. अर्जी हेतु अवसर चाहा गया था। बावजूद अवसरों के भी जवाब दी. अर्जी पेश नहीं की गई है। वकील अप्रार्थी नं० 2 की मृत्यु हुये काफी समय हो चुका है। अप्रार्थी नं. 2 ना तो स्वयं हाजिर अदालत आते है एवं ना ही उनकी ओर से कोई दूसरा अधिवक्ता ही हाजिर अदालत आये है। प्रकरण वर्ष 2004 से लम्बित है। प्रकरण के अत्यधिक पुराना होने से प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ।<br><br>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया श्रीमती सरोज कंवर पत्नी स्व. कानूलाल जाति - पुरोहित |

सरोज कंवर बनाम मालीराम वगैरह

| ...ख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज<br>मु० नं० - 61/2004 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| | निवासी - झाड़ली ने अप्रार्थीगण मालीराम पुत्र छिद्दूराम गूर्जर व रिछपाल पुत्र नारायण अहीर नि० ग्राम झाड़ली के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अंकित कराया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1860 रकबा 1.13 है० ग्राम झाड़ली का जमाबन्दी में सामलात खाते 1/4 प्रार्थीया के नाम, 1/4 हिस्सा अप्रार्थी नं० 6 के नाम, 1/4 हिस्सा अप्रार्थी नं० 7 के नाम चल रहा है जो सही है लेकिन 1/4 हिस्सा जो पहले अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम सही रूप से चल रहा था जो दाखिल नामान्तरण संख्या 788 दिनांक 20-8-2001 अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम अंकित होकर चला आ रहा है जो कतई गलत है। प्रार्थीया व अप्रार्थी नं० 2, 6, 7 उक्त भूमि को शामिलात में ही अपने-अपने हिस्सानुसार काश्त करते हैं। उक्त भूमि बाबत पक्षकारान में किसी प्रकार का लिखित, जबानी, मौखिक बटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीया अपने 1/4 हिस्से पर काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी नं० 2 उक्त भूमि के लिए एक अजनबी (स्ट्रेंजर पर्सन) मात्र है। उक्त भूमि का बिना विधिक बटवारा हुए ही अप्रार्थी नं० 2 द्वारा अप्रार्थी नम्बर 1 के हक में अप्रार्थी नम्बर 4 से मिलकर दिनांक 28-5-2001 को 1/4<br>क्र०- | |

सरोज कंवर बनाम मालीराम वगै.

हुक्म या कार्यवाही मय दस्तख़त जज
मु.नं. - 67/2004

हिस्सा का तुकाईची तौर पर विक्रय सेल पंजीकृत करवा दिया तथा इस तुकाईची विक्रय सेल का जरिये नामान्तरण संख्या 788 दिनांक 20-8-2001 के द्वारा रजिस्ट्री राजस्व रिकार्ड में परिवर्तित कराया गया। जिसकी आड़ में विवादित भूमि में कब्जा करने व कुआ निर्माण करने पर आमादा होने से प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 को दौराने सुनवाई दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में उभय पक्षकारान को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझता है।

अतः प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्व लोक अदालत के कैम्प - भाड़ली के अभियान - ए - आम में न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षकारान को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा

(sd.)

सुरेश चंद बनाम राजस्थान सरकार

| हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज<br>मु.नं. - 01/2004 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| सो पाबन्द किया जाता है कि वे बाद तरमीम इन्द्राज खसरा नम्बर 1860 रकबा 1.13 हेक्टेयर वाके ग्राम झाड़ली तहसील-श्रीमाधोपुर के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>यह निर्णय आज दिनांक 03-05-18 को अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत-झाड़ली के समक्ष-ए-आम में सुनाया गया।<br><br>(ब्रह्म लाल जाट)<br>RAS<br>ACM Em (प्र)<br>श्रीमाधोपुर (सीकर)<br>कैम्प - झाड़ली | |

Scanned by CamScanner